



UPFD010046802022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी०एक्ट, फिरोजाबाद
 उपस्थितइफराक अहमद (एच०जे०एस०) ID-UP6193
 विशेष सत्र वाद सं० 799/2022

राज्य अभियोजनपक्ष

बनाम

भीषमपाल यादव पुत्र हरिपाल सिंह, निवासी- महाराजपुर, थाना एका,
 जिला फिरोजाबाद। अभियुक्त।

धारा- 323,376 भा०द०सं० व
 धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी०एक्ट
 थाना- एका, जिला- फिरोजाबाद।
 मु०अ० सं०- 77/2022

निर्णय

- उपरोक्त विशेष सत्र-परीक्षण वाद का विचारण पुलिस थाना एका जनपद फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं० 77/2022 में अभियुक्त **भीषमपाल यादव** के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र **प्रदर्श क-7** अंतर्गत धारा 323,376 भा०द०सं० व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी०एक्ट के आधार पर संस्थित होकर किया गया।
- प्रस्तुत प्रकरण चूंकि धारा 376 भा०द०सं० से सम्बन्धित है, अस्तु "पीड़िता" का नाम विधिक प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए गुप्त रखा गया और उसे निर्णय में "पीड़िता" शब्द से सम्बोधित किया गया है।
- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिन /पीड़िता (Informant) , निवासी महाराजपुर, थाना एका, जिला फिरोजाबाद ने थानाध्याक्ष एका, फिरोजाबाद को लिखित प्रार्थना पत्र **प्रदर्श क-1** इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि:-

"निवेदन है कि दिनांक 18-03-2022 को समय करीब 04.00 बजे शाम को प्रार्थिया/'पीड़िता' पत्नी सत्यपाल निवासी महाराजपुर थाना एका जिला फिरोजाबाद अपने घर पर खाना बना रही थी मेरा पड़ोसी भीषमपाल पुत्र हरिपाल सिंह ने घर में आकर मेरे घर से बच्चे अजीत को दुकान पर मसाला लेने भेज दिया। मेरे साथ मारपीट कर चारपाई पर पटक दिया। मेरे साथ गन्दी हरकत कर मेरे साथ बलात्कार किया। प्रार्थिया चिल्लाई लेकिन मुझे छोड़ा नहीं। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने पति को घर पर बुलाया। पति को सारी बात बताई। रिपोर्ट लिखाने आयी मैं, रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। भीषमपाल यादव जाति के हैं।"

4. उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रदर्श क-1 के आधार पर प्रभारी निरीक्षक थाना एका द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 77/2022 अंतर्गत धारा 323,376 भा०द०सं० व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट प्रदर्श क-3 दिनांक 19-03-2022 को समय 09.30 बजे पंजीकृत की गयी, जिसकी प्रविष्टि रोजनामचाआम (GD) में तत्क्षण रपट सं० 25 के रूप में समय 09.30 बजे की गयी तथा विवेचना विवेचक को हस्तगत की गयी एवं तत्पश्चात विवेचना अग्रसारित की गयी। घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए, साक्षियों के बयान अंतर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किये गये। वादिनी/पीड़िता की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-8 तैयार किया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क-7 प्रेषित किया गया।

5. मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियोजन एवं अभियुक्त को आरोप के बिन्दु पर सुना गया तथा पर्याप्त आधार पाते हुए अभियुक्त भीषमपाल यादव के विरुद्ध दिनांक 12-07-2022 को आरोप अन्तर्गत धारा 323,376 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट का आरोप विरचित किया गया। आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने समस्त आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

धारा 323 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने वास्तव में परिवादकर्ता को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शौथिल्य कारित किया;
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा उपहति कारित करने के आशय से या इस ज्ञान के साथ कि उपहति कारित किया जाना संभाव्य है, किया।

धारा 376 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने प्रश्न में महिला से लैंगिक संभोग किया;
- (ii) यह कि ऐसा कार्य धारा 375 में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया गया;
- (iii) यह कि प्रवेशन हुआ था।

धारा 3(2)v अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में यह प्रावधान है कि- कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,

(2) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है-

(v) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय कोई अपराध (किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी सम्पत्ति ऐसे सदस्य की है।) वह आजीवन कारावास व जुमाने से दण्डनीय होगा।

6. आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से निम्न साक्षियों को परीक्षित कराया गया-

क्रम सं०	नाम साक्षी	
1	PW-1 पीड़िता	"पीड़िता" (Informant)
2	PW-2 सत्यपाल	पति पीड़िता
3	PW- 3 हेड का० 264 संतोष कुमार	चिक लेखक
4	PW- 4 डा० मीता सिंह	चिकित्सीय परीक्षणकर्ता
5	PW- 5 सी०ओ० अनिवेश कुमार	अंतिम विवेचक
6	PW- 6 सी०ओ० देवेन्द्र सिंह	प्रथम विवेचक
7	PW- 7 डा० आर०बी० सिंह	रेडियोललाजिस्ट

7. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श साबित किये गये-

क्रम सं०	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
1	तहरीर वादी	प्रदर्श क- 1
2	बयान "पीड़िता" अ० धारा 164 द०प्र०सं०	प्रदर्श क- 2
3	प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)	प्रदर्श क- 3
4	नकल रोजनामचा आम (G.D.)	प्रदर्श क- 4
5	मेडिकल रिपोर्ट "पीड़िता"	प्रदर्श क- 5
6	पूरक मेडिकल रिपोर्ट "पीड़िता"	प्रदर्श क- 6
7	आरोप पत्र	प्रदर्श क- 7
8	नक्शा नजरी	प्रदर्श क- 8
9	फर्द कपड़े पीड़िता	प्रदर्श क- 9
10	एक्स-रे रिपोर्ट	प्रदर्श क- 10
11	अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट "पीड़िता"	प्रदर्श क- 11
12	पीड़िता आयु निर्धारण रिपोर्ट	प्रदर्श क- 12
13	थैला	वस्तु प्रदर्श- 1
14	साड़ी	वस्तु प्रदर्श- 2
15	पेटीकोट	वस्तु प्रदर्श- 3
16	ब्लाउज	वस्तु प्रदर्श- 4
17	चड्डी	वस्तु प्रदर्श- 5

8. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरांत अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किये गये। अभियुक्त ने घटना को झूठा बताया तथा साक्षियों द्वारा झूठा साक्ष्य देने का कथन किया गया। मुकदमा झूठा चलना बताया।

9. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबल्यू० 1 पीड़िता को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबल्यू० 1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"घटना पिछली साल होली की है। सन् 2022 की है। समय 04.00 बजे शाम की है। मैं अपने घर पर पकौड़े सेक रही थी। बेसन के पकौड़े बना रही थी। तभी भीषमपाल मेरा पड़ोसी आ गया। मेरे घर पर आया और मेरे बेटे अजीत को दुकान पर गुटका लेने भेज दिया। मैं अकेली रह गयी। तब भीषमपाल ने मेरा पैर पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ बलात्कार जबरदस्ती किया था और गालियां दी और मेरी गर्दन दबा दी और गाल में चार-पाँच थप्पड़ मारे। मैं चिल्लाई थी, कोई आया नहीं था, तभी मुल्जिम ने मेरा मुँह दबा दिया था। दुबारा मैंने बहाने बनाये कि पकौड़े जल रहे थे। मेरे साथ भीषमपाल दुबारा बलात्कार करना चाह रहा था। भीषमपाल ने मुझे धक्का दिया था, फिर भीषमपाल भागा नहीं था। फिर मैं गैस बन्द करके बाहर आयी थी। तब भीषमपाल घर से बाहर निकला था। मेरे पति घर पर आ गये थे। तब मैंने पूरी बात अपने पति को बतायी थी, फिर मैं थाना रिपोर्ट लिखाने गयी थी। मैंने विवेक कुमार से रिपोर्ट लिखवाई थी। मैंने बताया था, विवेक कुमार ने रिपोर्ट लिखी थी। तहरीर पर मैंने अंगूठा निशानी लगाया था। पत्रावली पर तहरीर कागज सं० 3 अ/4 पर गवाह ने अपने निशानी अंगूठा की पुष्टि की तथा तहरीर को पढ़कर गवाह को सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है जो मैंने थाना पर दी थी। तहरीर पर **प्रदर्श क-1** अंकित किया गया। मेरे पुलिस वालों ने कपड़े कब्जे में लिये थे। पत्रावली पर मौजूद फर्द बाबत लेने कब्जा पुलिस पहने हुये कपड़े एक अदद साड़ी, पेटिकोट, ब्लाउज, कच्छी जो मैंने सभी कपड़े पुलिस को दिये थे। पत्रावली पर फर्द कागज सं० 7 अ है। इस पर गवाह ने अपनी निशानी अंगूठा की पुष्टि की तथा बताया कि यह फर्द पुलिस ने मेरे सामने तैयार की थी। मेरा पुलिस ने मेडिकल भी करकाया था। मेरा न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब ने बयान लिया ता। पुलिस मुझे मजिस्ट्रेट साहब के पास लाई थी। बयान धारा 164 द०प्र०सं० न्यायालय में मौजूद है। न्यायालय की अनुमति से बयान लिफाफा खोला गया। बयान गवाह को पढ़कर सुनाया गया तो कहा कि यह वही बयान है, जो मैंने मजिस्ट्रेट साहब को दिया था। बयान की पीड़िता ने पुष्टि की। बयान धारा 164 द०प्र०सं० पर **प्रदर्श क-2** अंकित किया गया। पुलिस ने मेरा बयान लिया था।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 2 सत्यपाल को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 2 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"पिछली साल होली की घटना है। समय 04.00 बजे शाम का था। मैं होली में चौपई में घूम रहा था। मेरे घर पर मेरी पत्नी /पीड़िता व मेरा बेटा अजीत घर पर थे। वहाँ मेरे घर पर भीषमपाल आ गया था। जो भीषमपाल मेरा पड़ोसी है। मेरा बेटा अजीत को भीषमपाल ने गुटका लेने भेज दिया था। मेरी पत्नी पकोड़ी बना रही थी। मेरी पत्नी सुनीता के साथ भीषमपाल ने जबरजस्ती बलात्कार किया था। मैं 05.00 बजे शाम घर पर आ गया था। रो रही थी, परेशान थी। पत्नी ने सारी बात घटना की मुझे बतायी थी। फिर मैं उसी समय थाना गया था। इस घटना की रिपोर्ट मेरी पत्नी ने थाना एका पर लिखाई थी। पुलिस अधिकारी ने मेरा बयान लिया था। मैं जाटव जाति का हूँ और मुल्जिम भीषमपाल यादव जाति का है।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 3 H.M. 264 संतोष कुमार को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 3 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 19-03-22 को थाना एका में बतौर हेड मोहरीर के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने वादिया मुकदमा /पीड़िता पत्नी सत्यपाल की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 77/22, धारा 323,376 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम भीषमपाल यादव के विरुद्ध मुकदमा कायम किया था। जिसकी एफ०आई०आर० मैंने बोल बोल कर महिला का० ज्योति से कम्प्यूटर पर टंकित करायी थी। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 3 अ/1 लगायत 3 अ/3 चिक एफ०आई०आर० है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-3 अंकित किया गया। इसका खुलासा मैंने उसी दिन रोजनामचा आम में रपट नं० 25 समय 09.30 बजे किया था। जी०डी० पत्रावली पर मौजूद है। जो मेरे द्वारा बोल बोलकर महिला का० से कम्प्यूटर पर टंकित करायी थी। जी०डी० पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। असल जी०डी० साथ लेकर आया हूँ। मिलान कर प्रमाणित करता हूँ। जी०डी० की मैं शिनाख्त करता हूँ। जी०डी० पर प्रदर्श क-4 अंकित किया गया।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 4 डा० मीता सिंह को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 4 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 19-03-2022 को जिला फिरोजाबाद में महिला चिकित्सालय पर तैनात थी। उस दिन मैंने पीड़िता पत्नी सत्यपाल, निवासी महाराजपुर, थाना एक जिला फिरोजाबाद का चिकित्सीय परीक्षण किया था। जो कि लेडीज कान्सटेबल 229 साधना थाना एका फिरोजाबाद द्वारा मेरे समक्ष पीड़िता को प्रस्तुत किया गया था। पीड़िता के अनुसार घटना दिनांक 18-03-22 समय लगभग 04.00 बजे शाम का बताया गया। जो मु०अ०सं० 77/22, धारा 323,376 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट थाना एका की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर मैंने डाक्टरी परीक्षण किया था, जिसकी सहमति उसके पति द्वारा दी गयी थी। परीक्षण दिनांक 19-03-22 को समय 03.15 PM पर शुरू हुआ जो जिला अस्पताल फिरोजाबाद में सहायक स्टाफ नर्स निशा की उपस्थिति में हुआ था। पहचानी हेतु पहचान चिन्ह महिला की ऊपरी होठ पर तिल पाया गया था। पीड़िता विवाहित थी। उसकी पिछली माहवारी दिनांक 16-03-22 बतायी गयी थी। महिला ने अपने तीन बच्चे होना बताया था। कोई तकलीफ नहीं पायी गयी। पीड़िता के अनुसार दिनांक 18-03-22 समय शाम के 04.00 बजे होली महोत्सव के दिन वह घर पर अकेली थी। तभी पड़ोस का भीषमपाल घर में आकर पीड़िता को प्रलोभन देता है जिसका विरोध करने पर उसके साथ गलत काम करता है। पीड़िता का चेतना स्तर सही थी। नाड़ी की गति 84 पर मिनट थी। रक्तचाप 122/84 था। ऊचाई 140 से०मी० थी। वजन 33 किलो था। गुप्तांग व काँख में बाल उपस्थित थे। स्तन विकसित थे। पीड़िता ने घटना के बाद ना ही कपड़े बदले, ना ही उसने स्नान किया था। उसके कपड़ों को सील करा दिया गया था। पीड़िता के शरीर के किसी भी भाग में चोट नहीं पायी गयी थी। आन्तरिक परीक्षण हेतु शरीर के किसी भी भाग के पार्ट में कोई भी आन्तरिक चोट नहीं पायी गयी थी। पीड़िता की हाइमन टार्न थी। कोई रक्तस्राव, अन्य स्राव नहीं पाया गया था। पीड़िता की दो वैजाइनल स्मियर स्लाईड बनायी गयी और शुक्राणु जाँच के लिए भेजा गया। उम्र निर्धारण के लिए एक्स-रे हेतु सी०एम०ओ० कार्यालय भेजा गया। बच्चेदानी और एडीनक्शा की जाँच हेतु अल्ट्रासाउण्ड कराने की सलाह दी गयी और ग्रेविडेक्स टेस्ट करवाया गया। परीक्षण दिनांक 19-03-22 को समय शाम 04.20 बजे समाप्त किया गया था। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 9अ/1 लगायत 9अ/6 मेडिकल रिपोर्ट है जो मेरे

लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। **मेडिकल रिपोर्ट पर प्रदर्शक-5** अंकित किया गया। पीड़िता की पूरक रिपोर्ट दिनांक 31-03-22 को मेरे द्वारा तैयार की गयी थी। जिसके अनुसार अल्ट्रासाउण्ड की रिपोर्ट MLPC No 462/22 जिला महिला चिकित्सालय फिरोजाबाद में वरिष्ठ चिकित्सक रेडियोललाजिस्ट डा० आर०एस० सिंह द्वारा दिनांक 21-03-22 को की गयी, जिसमें यूटस बड़ा (बल्कि) पाया गया एवं P.I.D. पाया गया। (पैलविक इनपलेमेट्री डिस्सीज) पैथोलाजी रिपोर्ट सं० MLPC No59 दिनांक 24-03-22 को जिला महिला चिकित्सालय फिरोजाबाद के सीनियर कन्सलटेन्ड पैथोलाजिस्ट डाक० नवीन जैन द्वारा की गयी, जिनकी वैजाइनल स्मियर रिपोर्ट में शुक्राणु नहीं पाये गये एवं ग्रेविंडेक्स (गर्भ परीक्षण) निगेटिव पाया गया। मेरी राय में सभी जाँचों और परीक्षण पूर्व कराने के उपरान्त लैंगिक हमला की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। सारे संलग्नक पत्रावली पर दाखिल है। पूरक रिपोर्ट पत्रावली पर 9 अ/11 लगायत 9 अ/12 है, जो मेरे द्वारा तैयार की गयी है। मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूँ, जिस पर **प्रदर्शक-6** अंकित किया गया।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 5 सी०ओ० अनिवेश कुमा को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 5 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 17-04-2022 को थाना जसराना में क्षेत्राधिकारी के पद पर नियुक्त था। मैंने मु०अ०सं० 77/22, धारा 323,376 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम भीषमपाल थाना एका की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी थी। मैंने पूर्व कित की गयी केस डायरी का अवलोकन किया। वादिया को बयान देने के लिए कहा तो उसने कहा कि वह कोर्ट में बयान दे चुकी है, वही उसका बयान है। वादिया के पति से मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराने को कहा तो उसने कहा कि मैं कोई मोबाइल नहीं रखता हूँ। स्वतंत्र साक्षी ओमवीर, दीपक के बयान अंकित किये गये। समस्त साक्ष्य संकलन एवं बखूबी साबित होने पर अभियुक्त भीषमपाल यादव के विरुद्ध धारा 323,376 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(V) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोप पत्र पत्रावली पर है, जिस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की, जिस पर प्रदर्शक-7 अंकित किया गया।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 6 देवेन्द्र सिंह विवेचक को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 6 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 19-03-22 को क्षेत्राधिकारी जसराना के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने मु०अ०सं० 77/22, धारा 323,376 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम भीषमपाल थाना एका की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी थी। उसी दिन मैंने नकल चिक, नकल रपट बयान एफ०आई०आर० लेखक हेड मोहरीर संतोष कुमार, बयान पीड़िता, बयान पति वादिया सत्यपाल अंकित किये। वादिया की निशानदेही पर नक्शा नजरी तैयार किया था। पीड़िता के कपड़ों को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने हेतु निर्देशित किया था। नक्शा नजरी पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की जो पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर प्रदर्श क-8 अंकित किया गया। फर्द बाबत लेने कपड़े पीड़िता कब्जा पहने हुये कपड़े एक अदद साड़ी, एक अदद पेटिकोट, एक अदद ब्लाउज, एक अदद कच्छी की फर्द मेरे द्वारा तैयार की गयी है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी साक्षी ने शिनाख्त की, जिस पर प्रदर्श क-9 अंकित किया गया। फर्द पर पीड़िता का तथा उसके पति का निशानी अंगूठा लगवाया गया। माल न्यायालय में मौजूद है। न्यायालय की अनुमति से माल खोला गया। माल के पुलिन्दा पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा की स्लिप चिपकी है, जिसके अन्दर से एक साड़ी, एक पेटिकोट, एक ब्लाउज, एक चड्डी निकली। इन पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श-1 थैले पर डाला गया। जिस पर मु०अ०सं० 77/22, धारा 323,376 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम भीषमपाल लिखा है, जो मेरे हस्ताक्षर में है। साड़ी पर वस्तु प्रदर्श-2, पेटिकोट पर वस्तु प्रदर्श-3, ब्लाउज पर वस्तु प्रदर्श-4, चड्डी पर वस्तु प्रदर्श-5 अंकित किये गये। अवलोकन आन्तरिक परीक्षण रिपोर्ट किया तथा आयु परीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया। एक्स-रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। पीड़िता बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० का अवलोकन किया। अभियुक्त भीषमपाल की गिरफ्तारी कर उसके बयान अंकित किये। मेडीकल सप्लीमेंट्री रिपोर्ट का अवलोकन किया। पैथोलोजी रिपोर्ट का अवलोकन किया। बयान स्वतंत्र साक्षी राजबहादुर, विवेक के अंकित किय गये व बयान डाक्टर मीता सिंह का अंकित किया गया। इसके बाद मेरा स्थानान्तरण हो गया था।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 7 डा० आर०बी० सिंह को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 7 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 22-03-2022 को जिला अस्पताल फिरोजाबाद में रेडियोललाजिस्ट के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने पीड़िता पत्नी सत्यपाल के एक्स-रे किये थे।

एक्स-रे नं० 1 रिप्स एण्ड क्लेवीकल इसमें एपीफाइसिस फ्यूज थे।

एक्स-रे नं० 2 इसमें ओल्डपीस आर फ्यूज थे। XP और S.M. नोट फ्यूज थे।

एक्स-रे नं० 3- स्कल में सूचर्सआर नोटओवली के रेटिड थे।

यह रिपोर्ट एक्स-रे प्लेट सं० 477 के आधार पर तैयार की गयी थी। पीड़िता का मैंने अंगूठा निशानी लगाकर प्रमाणित किया था। एक्स-रे रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-10 अंकित किया गया। इसी क्रम में उपरोक्त पीड़िता का पेट का मैंने अल्ट्रासाउण्ड किया था। जिसमें यूट्रस बल्कि विधि P.I.B. था। अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट पत्रावली पर कागज सं० 9 अ/8 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-11 अंकित किया गया। अल्ट्रासाउण्ड फिल्म पर प्रदर्श-1 अंकित किया गया। इसी क्रम में उपरोक्त का आयु निर्धारण सी०एम०ओ० द्वारा किया गया। जिसमें मैं सदस्य था। बोर्ड द्वारा पीड़िता की उम्र लगभग 25 वर्ष निर्धारित की गयी थी। पत्रावली पर मौजूद आयु निर्धारण प्रमाण पत्र है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, मेरे अलावा बोर्ड के मेम्बर व सी०एम०ओ० के हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-12 अंकित किया गया। एक्स-रे प्लेट पत्रावली पर मौजूद है, जिन पर वस्तु प्रदर्श क्रमशः 2 लगायत 5 अंकित किये गये।"

बचाव पक्ष की ओर से डी०डबलू० 1 ग्रीशपाल को परीक्षित किया गया। साक्षी डी०डबलू 1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं मुल्जिम भीषमपाल को जानता हूँ। मैं सत्यपाल व सत्यपाल की पत्नी/पीड़िता को जानता हूँ। मेरी दादी की उठावनी दिनांक 18-03-22 को थी। मैं उस दिन अपने घर पर ही था। मैं अपने घर पर सुबह से शाम तक रहा था। आदमी आते जाते रहे ते। बृजेश कुमार, मुन्नेश कुमार भी मेर घर पर थे। भीषमपाल भी मेरे घर पर थे। भीषमपाल अभियुक्त मेरे घर पर रात 09.00 या 10.00 बजे तक मेरे घर पर रहे थे और भी गाँव के लोगों

का आना जाना था। भीषमपाल के विरुद्ध गाँव में चर्चा है कि भीषमपाल के विरुद्ध झूठा मुकदमा लगाया है। झूठे मुकदमे के बाबत विवेक कुमार के घर पर पंचायत हुई थी। मेरे घर पर सत्यपाल व उसकी पत्नी/पीड़िता भी आये थे। यह मेरे घर पर 02.30 बजे आये थे और एक या दो घण्टा के करीब रुके थे। करीब 05.00 बजे चले गये थे। गाँव में होली की चौपाई हर साल निकलती है। यह चौपाई सत्यपाल के घर के सामने से दिन 11.00 बजे निकल गयी थी। सत्यपाल का घर एक मैदान में है। एक आठ से दस फुट का कमरा है। सत्यपाल और भीषमपाल ने आपस में साझे में भुस का व्यपार घटना से पहले किया था। भीषमपाल के सत्यपाल की तरफ पैसे निकल रहे थे, इसीलिए यह झूठा मुकदमा लगाया है।"

बचाव पक्ष की ओर से डी०डबलू० 2 मुन्नेश कुमार को परीक्षित किया गया। साक्षी डी०डबलू 2 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं मुल्जिम भीषमपाल को जानता हूँ। मैं सत्यपाल व सत्यपाल की पत्नी/पीड़िता को भी जानता हूँ। ग्रीशपाल की दादी की मृत्यु के बाद होली का पहला त्यौहार था। मैं ग्रीशपाल के घर पर गया था। दिनांक 18-03-2022 था। मैं ग्रीशपाल के यहाँ तीन दिन रुका था। दिनांक 18-03-2022 को मैं सुबह 09.00 बजे से रात के 09.00 बजे तक ग्रीशपाल के घर पर ही था। सत्यपाल की शादी नहीं हुई है। वह अपनी पत्नी को 13-14 साल पहले कहीं से लाया है। विवेक के घर पर कोई पंचायत हुई थी। जगदीश मामा ने बताया था। भीषमपाल व पीड़िता के बारे में पंचायत हुई थी कि भीषमपाल को झूठा फंसाया है। होली की चौपाई गाँव में हर साल निकलती है। सत्यपाल और उसकी पत्नी/पीड़िता ग्रीशपाल के घर पर आये थे। करीब 03.00 बजे शाम को आये थे और 05.00 बजे शाम को गये थे। सत्यपाल का घर मैंने देखा है। मैदान में एक कमरा बना है। बाकी खेत है। भीषमपाल जेल गया था। तब भीषमपाल और सत्यपाल ने साझे में भूसा का व्यपार किया था। भीषमपाल के रूपये भी सत्यपाल पर चाहिये थे। ग्रीशपाल के घर पर गाँव के और भी बहुत से लोग आये थे।"

बचाव पक्ष की ओर से डी०डबलू० 3 बृजेश कुमार को परीक्षित किया गया। साक्षी डी०डबलू 3 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं भीषमपाल मुल्जिम को जानता हूँ। मैं सत्यपाल व सत्यपाल की पत्नी/पीड़िता को भी जानता हूँ। दिनांक 18-03-2022 को मैं ग्रीशपाल के घर आया था। ग्रीशपाल की दादी के मरने के बाद होली का पहला

त्यौहार था और भी लोग वहाँ पर आते-जाते रहे थे। सत्यपाल की शादी नहीं हुई है। यह अपनी पत्नी को बिहार से लेकर आया था। सत्यपाल करीब 14-15 साल पहले पीड़िता अपनी पत्नी को लेकर आया था। मैं ग्रीशपाल के घर 02.00 बजे करीब गया ता और करीब 05.00 या 05.30 बजे वापिस हुआ था। ग्रीशपाल के घर सत्यपाल व उसकी पत्नी/पीड़िता भी गये थे। यह दोनों ग्रीशपाल के घर पर लगभग 03.00 बजे से 05.00 बजे तक रुके थे। विवेक कुमार के यहाँ पंचायत हुई थी। मुझे पता है। गाँव में सुना था भीषमपाल पर मुकदमा झूठा लगाने की पंचायत हुई थी। सत्यपाल का घर मैंने देखा है। एक कमरा छोटा सा बना है। बाकी मैदान है। भीषमपाल जेल गये थे। उससे पहले भी भीषमपाल व सत्यपाल भुस का व्यापार करते थे। भीषमपाल के सत्यपाल पर 35 हजार या 40 हजार रुपये निकल रहे थे।"

10. मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

11. प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 18-03-2022 को समय शाम 04.00 बजे अभियुक्त ने पीड़िता के साथ स्वेच्छया मारपीट कर उपहति कारित की और उसकी सम्मति के बिना उसके साथ बलात्कार किया ? क्या उपरोक्त अपराध यह जानते हुए किया कि पीड़िता अनुसूचित जाति की सदस्य है ?

12. अभियोजन द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त ने उपरोक्त तिथि को उसके घर जाकर उसकी सम्मति के बिना उसके साथ मारपीट किया तथा बलात्कार किया गया। अभियुक्त पीड़िता के गाँव का ही है और वह यह जानता है कि पीड़िता अनुसूचित जाति की सदस्य है। पीड़िता घटना के समय अकेली थी, जिसका लाभ उठाते हुए अभियुक्त उसके साथ जघन्य अपराध कारित किया है। अग्रेतर यह तर्क दिया गया कि पीड़िता ने विवेचक को न्यायालय के समक्ष बयान दिया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना किसी अनुचित विलम्ब के कराई गयी है तथा सुसंगत साक्ष्य संकलित करने के उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। पीड़िता का साक्ष्य और उसके समर्थन में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय हैं और अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

13. दूसरी ओर बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता और उसके पति द्वारा दिये गये साक्ष्य कदापि विश्वसनीय नहीं हैं। पीड़िता के पति सत्यपाल का साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में है। शेष औपचारिक साक्षी हैं। वादी पक्ष की ओर से तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी हैं। मेडिकल रिपोर्ट से घटना कारित किया जाना साबित नहीं है। पीड़िता का बयान भी विवेचक द्वारा अंकित नहीं किया गया है। उसका बयान एक महिला सिपाही द्वारा अंकित किया गया है। घटना स्थल भी साबित नहीं है। नक्शा नजरी साबित नहीं किया गया है। नक्शा नजरी में चारपाई नहीं दिखाई गयी है, जिसपर अपराध कारित किया गया है। पीड़िता द्वारा पहने हुए कपड़ों की फर्द भी साबित नहीं की गयी है। महिला सिपाही को बयान लिखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० साबित नहीं है। विवेचना सही ढंग से नहीं की गयी है। बचाव पक्ष द्वारा कहा गया कि घटना के समय अभियुक्त घटना स्थल पर नहीं था। दूसरे शब्दों में यह तर्क दिया गया कि किसी भी साक्षी के बयान से घटना कारित किया जाना साबित नहीं है। अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है और दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

बचाव पक्ष की ओर से निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गयी हैं-

- 1- सुभाष बनाम हरियाणा राज्य AIR 2011 सुप्रीम कोर्ट 749.
- 2- भाष्कर व अन्य बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट 222.
- 3- जावेद मसूद व अन्य बनाम राजस्थान राज्य आपराधिक अपील संख्या 1522/2008.

14. मैंने उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं का ससम्मान अध्ययन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

15. प्रस्तुत मामले में घटना दिनांक 18-03-2022 समय 04.00 बजे, ग्राम महाराजपुर, थाना एका, जिला फिरोजाबाद की है। घटना के सम्बन्ध में वादिनी/पीड़िता द्वारा थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र विवेक कुमार से लिखाकर थाना प्रभारी एका जिला फिरोजाबाद को प्रस्तुत किया गया। अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 18-03-2022 को समय लगभग 04.00 बजे शाम पीड़िता अपने घर पर खाना बना रही थी। पड़ोसी भीषमपाल पुत्र

हरिपाल पीड़िता के घर में आकर पीड़िता के पुत्र अजीत को गुटका लेने के लिए भेज दिया। अभियुक्त भीषमपाल ने पीड़िता के साथ मारपीट कर पीड़िता को चारपाई पर पटक दिया। उसके साथ गंदी हरकत कर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता चिल्लाई लेकिन उसने नहीं छोड़ा। जब पीड़िता को होश आया तो उसने अपने पति को बताया और सारी बात बताई। पीड़िता पी०डब्लू० 1 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कथन किया है कि उसने विवेक कुमार से रिपोर्ट लिखवाई, जो उसने बताया था वही उसने लिखा था। तहरीर पर अपने अंगूठा निशानी की पहचान की। पी०डब्लू० 2 सत्यपाल ने घटना वाले दिन थाने पर जाने का कथन किया है। हेड मौहरीर 264 पी०डब्लू० 3 संतोष कुमार ने कहा कि "मैं दिनांक 19-03-2022 को HM के पद पर थाना एका में तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा/पीड़िता की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 77/2022, अन्तर्गत धारा 323,376 भा०दं०सं० व धारा 3(2) (V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम भीषमपाल यादव के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था। महिला का० ज्योति से कम्प्यूटर पर बोल-बोल कर टंकित कराया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-3 है, जिसकी प्रविष्टि रोजनामचाआम (GD) में रपट नं० 25 के रूप में समय 09.30 बजे की गयी। रोजनामचाआम को प्रदर्श क-4 के रूप में साबित किया गया है। घटनाक्रम से स्पष्ट है कि घटना के तत्काल पश्चात पीड़िता का पति पी०डब्लू० 2 आ गया और दोनों ही लोग सम्बन्धित थाना एका पर गये, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल नहीं लिखी गयी। अपितु प्रातः 09.30 बजे तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर पंजीकृत की गयी है। वादी की ओर से घटना की सूचना सम्बन्धित थाने को करने में किसी भी प्रकार का कोई अनुचित विलम्ब नहीं कारित किया गया है। अभियुक्त की ओर से यह तर्क किया गया है कि 3-3 प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी, जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये तर्क हैं। दूसरे शब्दों में घटना तत्काल पश्चात त्वरित ढंग से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराया गया है, जो अभियोजन कथानक को बल प्रदान करने वाला तथ्य है। विवेचक द्वारा तत्काल विवेचना अग्रसारित की गयी है। पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 161 दिनांक 19-03-2022 को महिला कान्सटेबल 176 ज्योति, थाना एका से बोल-बोल कर लिखवायी गयी। बचाव पक्ष का यह तर्क है कि महिला

कान्सटेबल को बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० लिखने का कोई अधिकार नहीं था। उपरोक्त तर्क भी कदापि स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। क्योंकि विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत पीड़िता महिला का कथन महिला अधिकारी अथवा महिला पुलिसकर्मी के द्वारा यथासंभव अंकित किये जाने का उपक्रम किया जाना चाहिए।

पीड़िता पी०डब्लू० 1 ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० में कहा कि:-

"मेरा नाम (पीड़िता) पत्नी सत्यपाल, निवासी महाराजपुर थाना एका जिला फिरोजाबाद की रहने वाली हूँ। मैं जाटव जाति की महिला हूँ। मेरी उम्र 25 वर्ष है। दिनांक 18-03-2022 को शाम 04.00 बजे मैं अपने घर पर पकौड़ी बना रही थी। तभी भीषमपाल आये और मेरे साथ गलत काम किया। फिर मैं बेहोश हो गयी। होश आने पर मैंने सारी बात अपने पति को बतायी। भीषमपाल अहीर (यादव) जाति का है। और मुझे कुछ नहीं कहना है।"

पीड़िता का बयान विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांक 23-03-2022 को अंकित किया गया। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० में कहा कि:-

"होली वाले दिन मेरा पति मेरे घर पर नहीं था। मैं घर पर अकेली थी। मेरे घर में भीषमपाल जबरजस्ती घुस आया। मेरे बेटे अजीत को भीषमपाल ने दुकान पर गुटखा लेने के लिये भेज दिया और भीषमपाल ने मुझसे कहा कि मैं उससे प्यार करलू तो वो मुझे पैसे देगा। मैंने उससे मना किया तो उसने मुझे जबरजस्ती बिस्तर पर गिराया और मेरी टांग उठाकर मेरा बलात्कार किया। मैंने अपने आपको बचाने की कोशिश की तो उसने मेरा मुँह दबाया और मेरा गला दबाया। मुझे और कुछ नहीं कहना है।"

उल्लेखनीय है कि पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 161 व 164 द०प्र०सं० बिना किसी विलम्ब के अंकित कराया गया। पीड़िता को अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित कराया गया। पीड़िता ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि "घटना पिछले साल होली की है। सन् 2022 की है। समय 04.00 बजे शाम की है। मैं अपने घर पर पकौड़े सेक रही थी। बेसन के पकौड़े बना रही थी। तभी भीषमपाल मेरा पड़ोसी आ गया। मेरे घर पर आया और मेरे बेटे अजीत को दुकान पर गुटका लेने भेज दिया। मैं अकेली रह गयी। तब भीषमपाल ने मेरा पैर पकड़ लिया, हाथ

पकड़ लिया और मेरे साथ बलात्कार जबरदस्ती किया था और गालियां दी और मेरी गर्दन दबा दी और गाल में चार-पाँच थप्पड़ मारे। मैं चिल्लाई थी, कोई आया नहीं था, तभी मुल्जिम ने मेरा मुँह दबा दिया था। दुबारा मैंने बहाने बनाये कि पकौड़े जल रहे थे। मेरे साथ भीषमपाल दुबारा बलात्कार करना चाह रहा था। भीषमपाल ने मुझे धक्का दिया था, फिर भीषमपाल भागा नहीं था। फिर मैं गैस बन्द करके बाहर आयी थी। तब भीषमपाल घर से बाहर निकला था। मेरे पति घर पर आ गये थे। तब मैंने पूरी बात अपने पति को बतायी थी, फिर मैं थाना रिपोर्ट लिखाने गयी थी। फिर मैं थाना रिपोर्ट करने गयी थी। पीड़िता ने तहरीर प्रदर्श क-1 पर अपने अंगूठा निशानी की पहचान किया। अग्रेतर पीड़िता ने शपथपूर्वक कथन किया कि मेरे पुलिस वालों ने कपड़े कब्जे में लिये गये। पत्रावली पर मौजूद फर्द बाबत लेने पुलिस कब्जा पुलिस पहने कपड़े एक अदद साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, कच्छी जो मैंने सभी कपड़े पुलिस को दिये थे। पत्रावली पर फर्द कागज सं० 7 अ है। इस पर गवाह ने अपनी निशानी अंगूठा की पुष्टि की ताथ बताया कि यह फर्द पुलिस ने मेरे सामने तैयार की थी। अग्रेतर पीड़िता ने शपथपूर्वक कथन किया कि मेरा पुलिस ने मेडिकल भी करकाया था। मेरा न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब ने बयान लिया था। पुलिस मुझे मजिस्ट्रेट साहब के पास लाई थी। पीड़िता ने अपने बयान धारा 164 द०प्र०सं० पर अपने निशानी अंगूठा की पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क-2 अंकित किया गया। पीड़िता द्वारा घटना के समय पहने हुए कपड़ों की फर्द प्रदर्श क-9 विवेचक श्री देवेन्द्र पी०डब्लू० 6 द्वारा तैयार की गयी है। उपरोक्त फर्द बरामदगी मात्र पीड़िता द्वारा पहने हुए कपड़े एक अदद साड़ी बारंग हल्का सुआपंखी, एक अदद पेटीकोट बारंग मटमैला, एक अदद ब्लाउज फटा हुआ बारंग लाल व एक अदद कच्छी बारंग नीली छींटदार को कब्जे पुलिस में लेकर उक्त सभी कपड़ों को एक थैले में रखकर सील किया गया। उपरोक्त फर्द पर पी०डब्लू० 1 के अंगूठा निशानी की उसके पति के हस्ताक्षर करवाये गये। पीड़िता ने अपनी प्रति-परीक्षा में कहा कि मेरी जाति जाटव है। भीषमपाल यादव जाति का है। मेरे घर से भीषमपाल के घर के बीच में एक खेत है। यह खेत मेरे देवर सोमवीर का है। विवेक मेरे पति का भतीजा है। साधु सिंह मेरे पड़ोसी के नाते जेठ लगते हैं। मेरा मायका बिहार में है। जिला नवादा है।-----अग्रेतर कहा कि मेरे पति पुताई का कार्य करते हैं। गाँव में ही रहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि भूसा

का व्यापार करते हैं। मेरे तीन बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा 10 वर्ष का है। दूसरा बेटा 09 वर्ष का है तथा मेरा तीसरा बेटे की उम्र 08 वर्ष है। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि जिस दिन की मैं अपने साथ घटना बता रही हूँ, उस दिन होली की पड़वा थी। मेरे गाँव में होली के त्यौहार पर गाँव के लोग एकत्रित होकर होली की चौपाई निकालते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे गाँव में होली की चौपाई किधर से शुरू होती है, क्योंकि मैं होली नहीं खेलती। हर साल मेरे दरवाजे पर गाँव की होली की चौपाई आती है। जिस दिन की मैं घटना बता रही हूँ उस दिन मेरे दरवाजे से होली की चौपाई निकल चुकी थी। मेरे दरवाजे पर घटना वाले दिन होली की चौपाई 04.00 बजे आयी थी। मैं मौहल्ला पड़ोस के लिए पकौड़ी बना रही थी। मैंने घर पर मेरे मौहल्ला पड़ोस के लोग आने वाले थे, उनके लिए पकौड़ी सेक रही थी। मैं कढ़ाई में पकौड़ी डाल रही थी तभी भीषमपाल आ गया था। जब भीषमपाल घर पर आया उस समय मेरा बेटा अजीत घर पर मौजूद था। भीषमपाल मेरे घर पर बैठ गया था, उसके बाद मेरे बेटे को गुटरखा लेने भेज दिया था। खुद कहा कि गुटरखे के लिए पैसे नहीं दिये थे। भीषमपाल घर के द्वारा पर नीचे जमीन पर बैठा था। मैंने अपने बेटे से दुकान से गुटका लाने के लिए मना किया था। भीषमपाल ने मेरे बेटे को डांटकर भेजा था। गैस का चूल्हा मेरे कमरे में रखा था। कमरे में ही मैं पकौड़ी सेंक रही थी।----- जिस दिन मेरे साथ घटना हुई थी। उस समय मैं धोती, पेटिकोट, चड्डी पहने थी। भीषमपाल ने मेरा हाथ पकड़ कर चारपाई पर डाला था। चारपाई पर भीषमपाल ने जब मुझे डाला था तब मैंने शोर मचाया था। मेरे शोर मचाने पर कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। मेरा टेटुआ दबा दिया था। भीषमपाल ने पहले मेरे थप्पड़ मारा था। भीषमपाल ने मुझे बहुत मारा था। गाली दे रहा था कह रहा था कि मादरचोद, भोसड़ी वाली। मेरी चड्डी भीषमपाल ने मार-मारकर स्वयं उतारी थी। जब मेरी चड्डी उतारी तब भी मैंने शोर मचाया था। जब चड्डी उतारी तब मैंने भीषमपाल को कहा था कि क्या कर रहा है। मैं चाचा से शिकायत कर दूंगी। भीषमपाल ने मेरे साथ बलात्कार किया था। मैं बेहोश हो गयी थी। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि जब मेरे पति आये थे तब मुझे होश आया था। यह बात सही है कि भीषमपाल ने मेरे साथ बलात्कार किया और उसके बाद मैं बेहोश हो गयी थी। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पति के आने तक क्या हुआ, तमुझे नहीं मालूम है। मैंने मुख्य परीक्षा में बताया कि भीषमपाल मेरे साथ दोबारा बलात्कार

करना चाह रहा था। यह बात सही बतायी है।----- अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि मैं डाक्टरी कराने गयी थी। मुझे नहीं पता कि मैंने डाक्टर साहब को बयान दिया था। मैंने घटना के बारे में डाक्टर साहब को मेडिकल होने से पूर्व बताया था। मेरे बताने के बाद डाक्टर साहब ने मेरी डाक्टरी की थी और अंगूठा लगवाया था। उसके बाद मेरी डाक्टरी हुई थी। मेरे साथ जब घटना हो गयी थी तो मेरे पति अपने आप आ गये थे। मेरे साथ घटना होने के एक घण्टे बाद मेरे पति आये थे। मेरा पति मेरे पास 05.00 बजे आया था। मैंने तहरीर में यह लिखाया है कि मैंने अपने पति को बुलवाया था। यह बात सही लिखी है। आज मैंने जो भी बयान दिया है कि मेरा पति घटना बाद स्वयं आया था वह बात भी सही है। पति जब आ गया था तब फोन करके पुलिस वालों को बुलाया था। पुलिस को फोन प्रशान्त ने किया था। प्रशान्त जो पप्पू का लडका है। पुलिस समय 06.00 बजे मेरे घर पर आ गयी थी। पुलिस मुझे व मेरे पति को साथ थाना ले गयी थी। थाना में रात को थाना में रुकी थी। रिपोर्ट लिखाने के बाद रिपोर्ट की नकल मुझे पुलिस ने दी थी। यह नकल मुझे शाम को उसी दिन दी थी। फिरोजाबाद से जब लौटकर आये थे तब मिली थी। अग्रेतर कहा कि पुलिस के साथ मैं व पति गाड़ी में गये थे। रिपोर्ट थाना के अन्दर बैठकर लिखवाई थी। कागज थाना से मिला था। रिपोर्ट दरोगा जी ने बोली थी तब लिखी गयी थी। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि अस्पताल मैं घटना के तीसरे दिन पहुँची थी। सरकारी अस्पताल फिरोजाबाद मेरे पति व महिला पुलिस थी। अस्पताल में टिर्नी से गयी थी। अस्पताल 10.00 या 11.00 बजे पहुँच गयी थी। मेरे साथ जो घटना हुई जिस तरह से मैंने दरोगा जी को बताया थी उसी तरह से डाक्टरी होने से पूर्व डाक्टर साहब को सारी घटना बतायी थी। जो मैंने थाना में दरोगा जी को बताया थी। वही बात मैंने डाक्टर साहब को बताया थी। मेरा घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारी ने बयान थाना में लिया था। बयान घटना के 10-15 दिन बाद लिया था। 10-15 दिन मैं थाना में पड़ी रही थी। जिस जगह पर घटना हुई थी वह जगह मैंने दिखायी थी। पुलिस अधिकारी को दिखायी थी।----- मैंने शोर किया तो सुमन, प्रशान्त व महेश के घरों में से कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि घटना के समय जो कपड़े मैं पहनी थी पकौड़ी का बेसन मेरी साड़ी या ब्लाउज में लगा होगा। यह कपड़े दरोगा जी ने थाने में लिये थे। यह कपड़े घटना के 2-3 दिन बाद लिये थे।

मैं घर से साथ नहीं ले गयी थी।-----घटना के समय जो मैं साड़ी पहने थी उसका कलर हरा कलर फीका-फीका था। ब्लाउज का कल्थई कलर था। पेटिकोट सन्तरा कलर का था। तीन ही कपड़े पुलिस ने लिये थे। इसके अलावा कोई भी कपड़ा नहीं लिया था। इन कपड़ों को पुलिस ने सील किया था। कपड़े शीशी में सील किये थे। इन कपड़ों को जो पुलिस ने लिया था उस की लिखा-पढी की थी। मेरे दस्तखत कराये थे। लिखा-पढी थाना पर हुई थी। उस लिखा पढी पर मेरे अलावा SHO साहब के दस्तखत हुये थे। मेरे, SHO साहब के अलावा और किसी के दस्तखत नहीं हुये थे। घटना के 3-4 दिन बाद मुझे दरोगा जी बयान कराने के लिये लाये थे। ----- लेडीज पुलिस ने जो मेरा बयान लिया था। उस बयान पर मैंने दस्तखत किया था। डाक्टरी हुई थी। उस पर अंगूठा लगाया था। मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ जो बयान हुए थे उस पर दस्तखत किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये इस सुझाव से इंकार किया कि पीड़िता के लड़के और अभियुक्त के लड़के के मध्य होली खेलने को लेकर झगड़ा हो गया इसलिए झूठा फंसाया था।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 के रूप में पीड़िता के पति सत्यपाल को परीक्षित किया गया है। पी०डब्लू० 2 सत्यपाल ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि "पिछले साल होली की घटना है। समय 04.00 बजे शाम का था। मैं होली में चौपाई में घूम रहा था। मेरे घर पर मेरी पत्नी/पीड़िता व मेरा बेटा अजीत घर पर थे। वहाँ मेरे घर पर भीषमपाल आ गया था। जो भीषमपाल मेरा पड़ोसी है। मेरा बेटा अजीत को भीषमपाल ने गुटका लेने भेज दिया था। मेरी पत्नी पकोडी बना रही थी। मेरी पत्नी सुनीता के साथ भीषमपाल ने जबरजस्ती बलात्कार किया था। मैं 05.00 बजे शाम घर पर आ गया था। रो रही थी, परेशान थी। पत्नी ने सारी बात घटना की मुझे बतायी थी। फिर मैं उसी समय थाना गया था। इस घटना की रिपोर्ट मेरी पत्नी ने थाना एका पर लिखाई थी। पुलिस अधिकारी ने मेरा बयान लिया था। मैं जाटव जाति का हूँ और मुल्जिम भीषमपाल यादव जाति का है। प्रति-परीक्षा में कहा कि मैं पुताई का काम करता हूँ। पुताई का काम मैं गाँव में करता हूँ। पुताई से पहले मैंने भीषमपाल के साथ भूसा का व्यापार नहीं किया था। मेरे तीन बच्चे हैं।----- पीड़िता के साथ मेरी शादी हुई थी। बारात नवादा जिला गयी थी। घटना वाले दिन होली का दिन था। घटना के समय होली निकल चुकी थी। मैं होली की चौपाई में

था। होली की चौपाई में मैं सुबह 08.00 बजे से शाम 05.00 बजे शाम तक रहा था। 05.00 बजे शाम को होली की चौपाई से अपने आप अपने घर आया था। तब मेरी पत्नी बेहोश थी। रो रही थी। बेहोश थी, फिर कहा कि मेरी पत्नी मुझे रोते हुये मिली थी। बेहोश नहीं मिली थी। रोते हुये मेरी पत्नी मिली थी यह बात सही है। बेहोश मिली थी यह बात गलत है। मैंने अपनी पत्नी के चेहरे पर होश में आने के लिये पानी नहीं डाला था। सी०ओ० साहब को मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था कि जब मैं घर पर आया तो मेरी पत्नी बेहोश थी। यह बात मेरे बयान में कैसे लिख दी गयी, मैं नहीं बता सकता। मेरे सामने भीषमपाल मेरे घर पर नहीं आया न मेरी पत्नी के साथ मेरे सामने बलात्कार किया। मेरे घर आने से पूर्व पूरी घटना हो चुकी थी। पत्नी के बताने पर मुझे मालूम पडा था। अग्रेतर कहा कि मैंने तुरन्त पुलिस को फोन करके घर पर बुलाया था। पुलिस की गाड़ी से मैं, मेरी पत्नी, मेरा लड़का थाना एका गये थे। थाना एका शाम के 07.00 बजे पहुँच गये थे। रिपोर्ट मेरी पत्नी ने बोली थी। जिस समय पत्नी ने रिपोर्ट बोली थी उस समय मैं आफिस के बाहर थाना पर बैठा था। रिपोर्ट मेरी पत्नी ने मैडम पुलिस वालों से लिखाई थी। थाना पर मैं 12.00 या 01.00 बजे तक रुका रहा था। पुलिस ने कहा कि थाना में रुकना चाहों तो रुक जाओ। लेकिन मैं अपनी पत्नी व लड़के को लेकर अपने मौसा जी कन्हैयालाल के यहाँ रात के 12.00 बजे पहुँचा था। वहीं पर मैं रुका था। सुबह 09.00 बजे फिर थाना गये थे। पुलिस ने डाक्टरी के लिये बुलाया था। डाक्टरी कराने मैं अपनी पत्नी के साथ गया था और थाने की लेडीज पुलिस गयी थी। डाक्टरी कराने से पूर्व मैंने डाक्टर साहब को घटना के बारे में नहीं बताया था न मुझसे डाक्टर साहब ने पूछा था, न मुझसे किसी कागज पर हस्ताक्षर डाक्टर साहब ने कराये थे। डाक्टरी कराने सरकारी अस्पताल फिरोजाबाद गये थे। कितने बजे पहुँचे थे 11.00 या 11.30 बजे दूसरे दिन पहुँच गये थे। ----- यह बात सही है कि मैंने अपनी पत्नी की डाक्टरी कराने हेतु डाक्टर साहब को रजामंदी दी थी। पी०डब्लू० 2 ने बचाव पक्ष की ओर से दिये गये इस सुझाव से इंकार किया की फर्जी डाक्टरी कराने के लिए डाक्टर से मेल मिलाप करता रहा हूँ। इस सुझाव से भी इंकार किया कि पत्नी के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ। इस बात से भी इंकार किया कि उसके पुत्र और अभियुक्त के पुत्र के बीच कोई झगड़ा हो गया था।

पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी विवेचनाधिकारी द्वारा कराया गया। इस सम्बन्ध में डा० गीता सिंह पी०डब्लू० 4 के रूप में परीक्षित किया गया। पी०डब्लू० 4 मीता सिंह ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि "मैं दिनांक 19-03-2022 को जिला फिरोजाबाद में महिला चिकित्सालय पर तैनात थी। उस दिन मैंने पीड़िता पत्नी सत्यपाल, निवासी महाराजपुर, थाना एक जिला फिरोजाबाद का चिकित्सीय परीक्षण किया था। जो कि लेडीज कान्सटेबल 229 साधना थाना एका फिरोजाबाद द्वारा मेरे समक्ष पीड़िता को प्रस्तुत किया गया था। पीड़िता के अनुसार घटना दिनांक 18-03-22 समय लगभग 04.00 बजे शाम का बताया गया। जो मु०अ०सं० 77/22, धारा 323,376 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट थाना एका की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर मैंने डाक्टरी परीक्षण किया था, जिसकी सहमति उसके पति द्वारा दी गयी थी। परीक्षण दिनांक 19-03-22 को समय 03.15 PM पर शुरू हुआ जो जिला अस्पताल फिरोजाबाद में सहायक स्टाफ नर्स निशा की उपस्थिति में हुआ था। पहचानी हेतु पहचान चिन्ह महिला की ऊपरी होठ पर तिल पाया गया था। पीड़िता विवाहित थी। उसकी पिछली माहवारी दिनांक 16-03-22 बतायी गयी थी। महिला ने अपने तीन बच्चे होना बताया था। कोई तकलीफ नहीं पायी गयी। पीड़िता के अनुसार दिनांक 18-03-22 समय शाम के 04.00 बजे होली महोत्सव के दिन वह घर पर अकेली थी। तभी पड़ोस का भीषमपाल घर में आकर पीड़िता को प्रलोभन देता है जिसका विरोध करने पर उसके साथ गलत काम करता है। पीड़िता का चेतना स्तर सही थी। नाड़ी की गति 84 पर मिनट थी। रक्तचाप 122/84 था। ऊचाई 140 से०मी० थी। वजन 33 किलो था। गुप्तांग व काँख में बाल उपस्थित थे। स्तन विकसित थे। पीड़िता ने घटना के बाद ना ही कपड़े बदले, ना ही उसने स्नान किया था। उसके कपड़ों को सील करा दिया गया था। पीड़िता के शरीर के किसी भी भाग में चोट नहीं पायी गयी थी। आन्तरिक परीक्षण हेतु शरीर के किसी भी भाग के पार्ट में कोई भी आन्तरिक चोट नहीं पायी गयी थी। पीड़िता की हाइमन टार्न थी। कोई रक्तस्राव, अन्य स्राव नहीं पाया गया था। पीड़िता की दो वैजाइनल स्मियर स्लाईड बनायी गयी और शुक्राणु जाँच के लिए भेजा गया। उम्र निर्धारण के लिए एक्स-रे हेतु सी०एम०ओ० कार्यालय भेजा गया। बच्चेदानी और एडीनक्शा की जाँच हेतु अल्ट्रासाउण्ड कराने की

सलाह दी गयी और ग्रेविंडेक्स टेस्ट करवाया गया। परीक्षण दिनांक 19-03-22 को समय शाम 04.20 बजे समाप्त किया गया था। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 9अ/1 लगायत 9अ/6 मेडिकल रिपोर्ट है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। मेडिकल रिपोर्ट पर प्रदर्श क-5 अंकित किया गया। पीड़िता की पूरक रिपोर्ट दिनांक 31-03-22 को मेरे द्वारा तैयार की गयी थी। जिसके अनुसार अल्ट्रासाउण्ड की रिपोर्ट MLPC No 462/22 जिला महिला चिकित्सालय फिरोजाबाद में वरिष्ठ चिकित्सक रेडियोललाजिस्ट डा० आर०एस० सिंह द्वारा दिनांक 21-03-22 को की गयी, जिसमें यूटस बड़ा (बल्कि) पाया गया एवं P.I.D. पाया गया। (पैलविक इनपलेमेट्री डिस्सीज) पैथोलाजी रिपोर्ट सं० MLPC No59 दिनांक 24-03-22 को जिला महिला चिकित्सालय फिरोजाबाद के सीनियर कन्सलटेन्ड पैथोलाजिस्ट डाक० नवीन जैन द्वारा की गयी, जिनकी वैजाइनल स्मियर रिपोर्ट में शुक्राणु नहीं पाये गये एवं ग्रेविंडेक्स (गर्भ परीक्षण) निगेटिव पाया गया। मेरी राय में सभी जाँचों और परीक्षण पूर्व कराने के उपरान्त लैंगिक हमला की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। सारे संलग्नक पत्रावली पर दाखिल है। पूरक रिपोर्ट पत्रावली पर 9अ/11 लगायत 9अ/12 है, जो मेरे द्वारा तैयार की गयी है। मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूँ, जिस पर **प्रदर्श क-6** अंकित किया गया। प्रति-परीक्षा में कहा कि पीड़िता का मेडिकल करने से पूर्व मैंने पीड़िता के पति से मेडिकल करने की सहमति ली थी। मैंने पीड़िता के बताने पर घटना का संक्षिप्त विवरण के कालम में लिखा है। घटना के संक्षिप्त विवरण में पीड़िता को अभियुक्त द्वारा प्रलोभन देने वाली बात एवं जिसका विरोध करने पर उसके साथ गलत काम करता है। यह बात पीड़िता के बताने पर ही लिखी थी। प्रलोभन शब्द पीड़िता के बताने पर लिखा था। मेडिकल के समय पीड़िता जब मेरे पास आयी तो वह घटना के समय जो वस्त्र पहने थी वही पहने थी। पीड़िता के वस्त्रों पर मेरे द्वारा खुली आँखों से देखने पर कोई भी सीमन्स (शुक्राणु) के धब्बे नहीं पाये गये। इसलिए मैंने पीड़िता के वस्त्रों को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला पहुँचा दिये थे। पीड़िता के घटना के समय पहने हुए वस्त्र मैंने अपने सामने सील नहीं कराये थे। पुलिस वालों ने कपड़े कब्जे में लेकर सील किये होंगे। मेडिकल करने से पूर्व मैंने पीड़िता का रक्तचाप व नाड़ी की धड़कन सामान्य पायी थी। अगर कोई भी पीड़िता मेडिकल से पूर्व घबरायी हुई हो

तो पीड़िता का रक्तचाप व नाड़ी की धड़कन बढ़ना स्वाभाविक है। पीड़िता तीन बच्चों चकी माँ थी। तीन बच्चों की माँ के साथ संभोग करने या इण्टरकोर्स करने से बेहोश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वैसे सामान्यतः इन्टरकोर्स करन से संभोग करने से बेहोश नहीं होगी। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि पीड़िता के आन्तरिक शरीर पर कोई चोट नहीं थी और ना ही पीड़िता के बाहरी शरीर पर चोट के निशान थे। पीड़िता का मेडिकल करते समय पीड़िता के गुप्तांग पर मौजूद बालों पर श्राव नहीं थे। शुक्राणु जाँच के लिए स्लाइड तैयार की थी। मैंने पीड़िता को अल्ट्रासाउण्ड कराने के लिये राय दी थी। पूरक रिपोर्ट तैयार करते समय मेरे पास स्लाइड व अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट मौजूद थी, उसी के आधार पर मैंने पूरक रिपोर्ट तैयार की थी। अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता का यूट्रस (बच्चेदानी) बढी हुई थी और पी०आई०डी० पाया गया। इन्फेक्शन पाया गया। पी०आई०डी० माहवारी के बाद आना संभव है अगर अपनी सफाई व स्वच्छता का ध्यान न रखा जाये। तो पी०आई०डी० होना संभव है। स्लाइड रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के कोई भी शुक्राणु नहीं पाये गये। स्लाइड रिपोर्ट के अनुसार इसलिए यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि पीड़िता के साथ बलात्कार जैसी घटना घटित हुई है। पीड़िता जो कपड़े पहनकर मेरे पास डाक्टरी कराने आई थी उसके बताने के अनुसार पीड़िता द्वारा वहीं वस्त्रों को पहने बताने के आधार पर उसको पुलिस को सील कराने के लिए पुलिस को कहा था।

पी०डब्लू० 7 के रूप में डा० आर०बी० सिंह को परीक्षित किया गया। जिन्होंने शपथपूर्वक बयानों में कहा कि "मैं दिनांक 22-03-2022 को जिला अस्पताल फिरोजाबाद में रेडियोललाजिस्ट के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने पीड़िता पत्नी सत्यपाल के एक्स-रे किये थे।
 एक्स-रे नं० 1- रिप्स एण्ड क्लेवीकल इसमें एपीफाइसिस फ्यूज थे।
 एक्स-रे नं० 2- इसमें ओल्डपीस आर फ्यूज थे। XP और S.M. नोट फ्यूज थे।
 एक्स-रे नं० 3- स्कल में सूचर्सआर नोटओवली के रेटिड थे। यह रिपोर्ट एक्स-रे प्लेट सं० 477 के आधार पर तैयार की गयी थी। पीड़िता का मैंने अंगूठा निशानी लगाकर प्रमाणित किया था। एक्स-रे रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-10 अंकित किया गया। इसी क्रम में उपरोक्त पीड़िता का पेट का मैंने अल्ट्रासाउण्ड किया था। जिसमें यूट्रस बड़ा था। P.I.B. था।

अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट पत्रावली पर कागज सं० 9 अ/8 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्शक-11 अंकित किया गया। अल्ट्रासाउण्ड फिल्म पर प्रदर्शक-1 अंकित किया गया। इसी क्रम में उपरोक्त का आयु निर्धारण सी०एम०ओ० द्वारा बोर्ड के द्वारा किया गया, जिसमें मैं सदस्य था। बोर्ड द्वारा पीड़िता की उम्र लगभग 25 वर्ष निर्धारित की गयी थी। पत्रावली पर मौजूद आयु निर्धारण प्रमाण पत्र है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, मेरे अलावा बोर्ड के मेम्बर व सी०एम०ओ० के हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्शक-12 अंकित किया गया। एक्स-रे प्लेट पत्रावली पर मौजूद है, जिन पर वस्तु प्रदर्शक क्रमशः 2 लगायत 5 अंकित किये गये। प्रति-परीक्षा में साक्षी ने कहा कि पीड़िता की उम्र 25 साल दिखाई है। इससे दो साल आगे या पीछे हो सकता है। अल्ट्रासाउण्ड की रिपोर्ट के अनुसार हल्की सूजन थी। इसका प्रेगनेन्सी से कोई भी मतलब नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने गलत रिपोर्ट तैयार की हो।

पी०डब्लू० 5 के रूप में विवेचक सी०ओ० अनिवेश कुमार को परीक्षित किया गया है। पी०डब्लू० 5 ने अपनी मुख्य-परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि "मैं दिनांक 17-04-2022 को थाना जसराना में क्षेत्राधिकारी के पद पर नियुक्त था। मैंने मु०अ०सं० 77/22, धारा 323,376 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम भीषमपाल थाना एका की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी थी। मैंने पूर्व कित की गयी केस डायरी का अवलोकन किया। वादिया को बयान देने के लिए कहा तो उसने कहा कि वह कोर्ट में बयान दे चुकी है, वही उसका बयान है। वादिया के पति से मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराने को कहा तो उसने कहा कि मैं कोई मोबाइल नहीं रखता हूँ। स्वतंत्र साक्षी ओमवीर, दीपक के बयान अंकित किये गये। समस्त साक्ष्य संकलन एवं बखूबी साबित होने पर अभियुक्त भीषमपाल यादव के विरुद्ध धारा 323,376 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(V) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोप पत्र पत्रावली पर है, जिस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की, जिस पर प्रदर्शक-7 अंकित किया गया। प्रति-परीक्षा में साक्षी ने कहा कि मैंने पूर्व विवेचक द्वारा कित की गयी केस डायरी का अवलोकन किया था। मैंने वादिनी/पीड़िता से बयान देने के लिए कहा तो उसने कहा कि उसने कोर्ट में बयान दे चुकी हूँ। वही

मेरा बयान है। पीड़िता के दोनों बयान धारा 161 व 164 द०प्र०सं० का अवलोकन कर चुका था उन दोनों बयानों में मैंने भिन्नता नहीं पायी थी। मैंने मजीद बयान लेना उचित समझा था परन्तु पीड़िता ने मेरे कहने के बावजूद भी अपना बयान नहीं दिया था। यह बात सही है कि पीड़िता के धारा 161 व 164 द०प्र०सं० के बयानों में भिन्नता है। मैंने पीड़िता के मेडिकल का भी अवलोकन किया था। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के यौश शोषण होने की संभावना अंकित है। मैं घटना स्थल पर गया था। घटना स्थल पर जाकर मैंने स्वतंत्र साक्षी से तस्दीक की थी कि पीड़िता के साथ क्या घटना हुई है। ओमवीर पुत्र रामप्रकाश ने अपने बयान में मुझे बताया था कि पीड़िता का पति सत्यपाल ओमवीर के ताऊ का लड़का है। सत्यपाल गांव के बाहर रहता था जो गाँव के बाहर खेतों पर रहता था। पीड़िता का निवास घटना स्थल गाँव के बाहर खेतों पर है और ओमवीर गाँव के अंदर रहता है। मैंने दीपक का बयान लिया था। पीड़िता दीपक की सगी चाची है। दीपक गांव के अन्दर रहता है। यह दोनों गवाहान पीड़िता के परिवार के हैं। पूर्व विवेचक द्वारा की गयी विवेचना के आधार पर मैंने आरोप पत्र प्रेषित किया था। मैंने गाँव में किसी स्वतंत्र साक्षी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ नहीं की थी और न उनका कोई भी बयान लिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे घटना के सम्बन्ध में समर्थन करने के सम्बन्ध में गांव का कोई स्वतंत्र साक्षी न मिला हो। इसी कारण उसने पीड़िता के परिवारीजनों के बयान लिखे हो। साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से किये गये अन्य सुझावों से भी इंकार किया।

पी०डब्लू० 6 के रूप में प्रथम विवेचक सी०ओ० देवेन्द्र सिंह को परीक्षित किया गया है। पी०डब्लू० 6 ने अपनी मुख्य-परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि "मैं दिनांक 19-03-22 को क्षेत्राधिकारी जसराना के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने मु०अ०सं० 77/22, धारा 323,376 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम भीषमपाल थाना एका की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी थी। उसी दिन मैंने नकल चिक, नकल रपट बयान एफ०आई०आर० लेखक हेड मोहरीर संतोष कुमार, बयान पीड़िता, बयान पति वादिया सत्यपाल अंकित किये। वादिया की निशानदेही पर नक्शा नजरी तैयार किया था। पीड़िता के कपड़ों को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने हेतु निर्देशित किया था। नक्शा नजरी पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की जो

पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर प्रदर्श क-8 अंकित किया गया। फर्द बाबत लेने कपड़े पीड़िता कब्जा पहने हुये कपड़े एक अदद साड़ी, एक अदद पेटिकोट, एक अदद ब्लाउज, एक अदद कच्छी की फर्द मेरे द्वारा तैयार की गयी है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी साक्षी ने शिनाख्त की, जिस पर प्रदर्श क-9 अंकित किया गया। फर्द पर पीड़िता का तथा उसके पति का निशानी अंगूठा लगवाया गया। माल न्यायालय में मौजूद है। न्यायालय की अनुमति से माल खोला गया। माल के पुलिन्दा पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा की स्लिप चिपकी है, जिसके अन्दर से एक साड़ी, एक पेटिकोट, एक ब्लाउज, एक चड्डी निकली। इन पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श-1 थैले पर डाला गया। जिस पर मु०अ०सं० 77/22, धारा 323,376 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम भीषमपाल लिखा है, जो मेरे हस्ताक्षर में है। साड़ी पर वस्तु प्रदर्श-2, पेटिकोट पर वस्तु प्रदर्श-3, ब्लाउज पर वस्तु प्रदर्श-4, चड्डी पर वस्तु प्रदर्श-5 अंकित किये गये। अवलोकन आन्तरिक परीक्षण रिपोर्ट किया तथा आयु परीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया। एक्स-रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। पीड़िता बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० का अवलोकन किया। अभियुक्त भीषमपाल की गिरफ्तारी कर उसके बयान अंकित किये। मेडीकल सप्लीमेंट्री रिपोर्ट का अवलोकन किया। पैथोलोजी रिपोर्ट का अवलोकन किया। बयान स्वतंत्र साक्षी राजबहादुर, विवेक के अंकित किये गये व बयान डाक्टर मीता सिंह का अंकित किया गया। इसके बाद मेरा स्थानान्तरण हो गया था।" प्रति-परीक्षा में कहा कि पीड़िता के बयान मैंने लिये थे। पीड़िता के घर पर लिये थे। पीड़िता के बेहोश होने के बाद होश कितनी देर बाद आया था मैंने न पूछा था न उसने बताया था। पीड़िता के कपड़े घटा स्थल पर ही सील किये थे। मैंने फर्द मौके पर ही बनायी थी। कपड़े पीड़िता के स्वयं पीड़िता ने दिये थे। फर्द पर गवाहान पीड़िता, सत्यपाल के मौके पर ही कराये थे।-----पीड़िता के मायके वालों के बयान जाति के सम्बन्ध में नहीं लिये थे। पीड़िता का जाति प्रमाण पत्र पत्रावली पर दाखिल है। पीड़िता के पति का बयान लिया था। पीड़िता के पति ने अपने बयान में बताया था कि उसने पीड़िता के ऊपर पानी डाला था तब होश में आयी थी। नक्शा नजरी में चारपाई दिखायी है। नक्शा नजरी मैंने ही तैयार किया था। घटना के समय पीड़िता का बेटा अजीत मौजूद था। अजीत का बयान मैंने नहीं लिया था।----- मेडिकल

का मैंने अवलोकन किया था। शरीर के किसी भी पार्ट पर कोई चोट नहीं है, मैंने मेडिकल देखा था। साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से किये गये सुझाव से इंकार किया।

प्रस्तुत मामले में घटना दिनांक 18-03-2022 की समय लगभग 04.00 बजे शाम की है। पीड़िता अपने घर पर खाना बना रही थी। यद्यपि कि उसने अपने शपथपूर्वक बयान में पकौड़ी बनाने की बात कही है। उस समय उसके साथ उसका पुत्र भी था। अभियुक्त भीषमपाल यादव उसका पड़ोसी है। अभियुक्त घर में आकर पीड़िता के पुत्र अजीत को दुकान पर मसाला अर्थात् गुटखा लेने के लिए भेज दिया। पीड़िता के साथ मारपीट की, चारपाई पर पटक दिया और गंदी हरकत करते हुए उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता चिल्लाई भी थी किन्तु अभियुक्त ने नहीं छोड़ा। जब पति पी०डब्लू० 2 घर पर आया तो उसके सारी बात बतायी। प्रथम सूचना रिपोर्ट कराने के लिए लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 थाने पर दिया। जिसके आधार पर अगले दिन अर्थात् 19-03-2022 को समय 09.30 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी, जिसकी प्रविष्टि रपट सं० 25 के रूप में 09.30 बजे की गयी। घटना के दिन अभियोजन साक्षियों के बयानों से स्पष्ट है कि घटना के दिन होली थी और पी०डब्लू० 2 (पीड़िता का पति) भी होली की चौपाई में घूम रहा था। पीड़िता बयानों में आया है कि घटना के समय वह अकेली थी, क्योंकि पुत्र को गुटखा लेने के लिए अभियुक्त ने जबरजस्ती भेज दिया था। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि 3-3 रिपोर्ट दर्ज की गयी हैं। जबकि पीड़िता ने स्पष्ट रूप कहा कि उसने विवेक नाम के व्यक्ति से बोल-बोल कर तहरीर लिखाई थी, जो बोला था वही लिखा था। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि लगभग साढ़े 17 घण्टे विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। पीड़िता ने विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित किये गये बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० प्रदर्श क-2 में स्पष्ट रूप से कहा कि होली वाले दिन उसके पति घर पर नहीं थे वह अकेली थी। घर में भीषमपाल जबरजस्ती घुस आया था। बेटे अजीत को दुकान पर गुटखा लेने के लिए भेज दिया था। जबरजस्ती अभियुक्त ने बिस्तर पर गिरा दिया और टांग उठाकर बलात्कार किया। धारा 161 द०प्र०सं० में भी पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा जबरजस्ती बलात्कार करने की बात स्पष्ट रूप से कही है।

पीड़िता और उसके पति थाने पर घटना वाले दिन ही गये थे किन्तु स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं पंजीकृत की गयी। फोन करके पीड़िता के पति पी०डब्लू० 2 ने पुलिस को सूचित भी किया था। पुलिस आई थी। यद्यपि कि पीड़िता ने थाने पर कई दिन रहने की बात कही है, किन्तु साक्ष्यों से ऐसा प्रमाण नहीं है कई वह थाने पर की दिन रूकी हो। अगले दिन अर्थात् 19-03-2022 को प्रातः 09.30 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने में वादी पक्ष की ओर से कोई अनुचित विलम्ब नहीं कारित किया गया। पीड़िता ने अपने शपथपूर्वक बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि उसके साथ अभियुक्त ने जबरजस्ती किया था, गालिया दी थी, गर्दन दबा दी थी और गाल में 4-5 थप्पड़ भी मारे थे। वह चिल्लाई थी किन्तु कोई नहीं आया था। अभियुक्त ने उसका मुँह दबा दिया। अभियुक्त ने दोबारा उसके साथ बलात्कार करना चाहा। अभियुक्त ने पीड़िता को धक्का भी दिया। 'पीड़िता' गैस बंद करके बाहर भागी और भीषमपाल भी बाहर निकला। जब पीड़िता के पति पी०डब्लू० 2 घर पर आये तब पीड़िता ने पूरी बात अपने पति को बतायी और थाने रिपोर्ट लिखाने गयी। तहरीर प्रदर्श क-1 पर अपने अंगूठा निशानी की पुष्टि पीड़िता ने किया है। पीड़िता ने इस आशय का कथन किया है कि उसने पहने हुए कपड़े पुलिस को दिये थे और पुलिस ने कब्जे में लिया था। इस बाबत फर्द बनायी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर कराये गये। पीड़िता ने स्पष्ट रूप से शपथपूर्वक कहा कि वह जाटव जाति की है जबकि अभियुक्त यादव जाति का है। एक खेत के बाद अभियुक्त का घर है। विवेक कुमार जिससे तहरीर प्रदर्श क-1 लिखायी गयी थी वह पी०डब्लू० 2 का भतीजा है। पीड़िता का पति पुताई का कार्य करता है और गांव में रहता है। पीड़िता को यह ज्ञात नहीं है कि अभियुक्त भीषमपाल भूसा का व्यापार करता था। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन होली की पड़वा थी। पीड़िता के गांव में होली के दिन गाँव के लोग एकत्र होकर होली की चौपाई निकालते हैं। हर साल उसके गांव में उसके दरवाजे पर होली की चौपाई निकलती है। जिस समय कि घटना है उस समय होली की चौपाई निकल चुकी थी। चौपाई लगभग 04.00 बजे आई थी। होली पर लोगों को परोसने के लिए पीड़िता पकौड़ी बना रही थी। कढ़ाई में पकौड़ी डाल रही थी। तभी भीषमपाल आया था। बेटा अजीत घर पर था किन्तु भीषमपाल ने उसको गुटखा लेने के लिए भेज दिया था। पीड़िता ने बेटे को

गुटका लेने जाने के लिए मना किया था। गैस चूल्हा कमरे में रखा था। कमरे में ही पकौड़ी सेक रही थी। बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि नक्शा नजरी में न तो गैस चूल्हा दिखाया गया है और ना ही चारपाई को दर्शाया गया है। चूल्हे को बाहर दिखाया गया है। उल्लेखनीय है कि नक्शा नजरी प्रदर्श क-8 में प्रथम विवेचक श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा चूल्हे को बाहर दर्शाया गया है। नक्शा नजरी दिनांकित 19-03-2022 को वादिनी की निशानदेही पर तैयार किया गया है। यह संभव है कि गैस चूल्हा किसी कारणवश बाहर निकाल दिया गया हो। मात्र गैस चूल्हे का बाहर रखा जाना यह इंगित नहीं करता है कि घटना के समय पीड़िता पकौड़ी न सेक रही हो। पीड़िता ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि जिस समय उसके साथ घटना हुई उस समय वह धोती, पेटिकोट, चड्डी पहने थी। अभियुक्त ने उसका हाथ पकड़कर चारपाई पर डाला। चारपाई पर जब अभियुक्त ने डाला था तब पीड़िता ने शोर मचाया था। उसके शोर मचाने पर कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। पीड़िता का गला भी दबा दिया था तथा उसको गालियां देकर साली मादरचोद कहकर सम्बोधित किया था। इसके अलावा अभियुक्त ने उसको मार-मार कर उसकी चड्डी उतार दी थी। उसने शोर मचाया था। पीड़िता ने इस बात का विरोध किया था और कहा था कि इस बात कि शिकायत अभियुक्त के चाचा से करेगी। जब पीड़िता के पति पी०डब्लू० 2 आये तो उसको होश आया, जिस समय अभियुक्त ने बलात्कार किया उस समय पीड़िता बेहोश हो गयी थी। पीड़िता का जिस समय मेडिकल परीक्षण हुआ उसने चिकित्सक को घटना के सम्बन्ध में संक्षिप्त रूप से बताया था। बचाव पक्ष की ओर से बार-बार इस बात पर बल दिया गया कि पीड़िता ने अपनी तहरीर प्रदर्श क-1 में यह उल्लेख किया है कि उसने अपने पति को बुलाया, जबकि प्रति-परीक्षा में कहा कि वह अपने आप आ गये थे। यह बात कदापि महत्वपूर्ण नहीं है कि घटना होने के पश्चात पीड़िता का पति स्वयं आया था अथवा उसको पीड़िता ने बुलाया था। पीड़िता ने अपनी प्रति-परीक्षा में कहा कि मेरे पति अपने आप आये थे। पी०डब्लू० 2 ने अपने बयान में कहा कि वह लगभग 05.00 बजे घर पर आ गया था। पीड़िता ने कहा कि घटना होने के एक घण्टे बाद उसका पति आ गया था, लगभग 05.00 बजे आ गया था। पति को बुलाने वाली बात को भी पीड़िता ने सही बताया और स्वयं आने वाली बात को भी सही बताया है। पीड़िता ने अपनी प्रति-परीक्षा में कहा कि पति जब

आया था तब फोन करके पुलिस वालों को बुलाया था। अग्रेतर यह भी कहा कि पुलिस को प्रशान्त ने बुलाया था। यह बात भी महत्वपूर्ण नहीं है कि पुलिस को किसके द्वारा सूचना दी गयी। महत्वपूर्ण यह है कि स्थानीय पुलिस सूचना पर आ गयी थी। पीड़िता ने अपने बयानों में यह भी कहा कि उसे और उसके पति को थाने में ले गये थे और वह थाने में रुकी थी। जबकि उसके पति पी०डब्लू० 2 ने मौसा के घर रात में रुकने वाली बात बताई है। रात भर पीड़िता कहां रही यह भी तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है। इस कथित विरोधाभास का कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता पर नहीं पड़ेगा। पीड़िता ने अपने बयान में यह भी कहा कि पुलिस ने नकल उसी शाम को दे दी गयी। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट यदि उसी दिन पंजीकृत हो गयी थी तो किन परिस्थितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रातः अंकित की गयी है। जिन कथित विरोधाभासों की ओर न्यायालय का ध्यान बचाव पक्ष की ओर से आकृष्ट किया गया है उसके परिप्रेक्ष्य में यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि पीड़िता और उसका पति विशुद्ध रूप से ग्रामीण परिवेश के हैं और अशिक्षित हैं। प्रति-परीक्षा में पी०डब्लू० 1 ने कहा कि पुलिस के साथ वह और उसके पति पुलिस थाने में गये थे और थाने में बैठकर रिपोर्ट लिखायी थी, कागज थाने से लिया गया था। रिपोर्ट दरोगा जी ने बोली थी, तब लिखी गयी थी। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि विवेक द्वारा तहरीर लिखी गयी थी तब उसकी उपस्थिति थाने अंकित होना आवश्यक है, किन्तु चिक एफ०आई०आर० लेखक संतोष कुमार पी०डब्लू० 3 ने अपने बयानों में कहा कि तहरीर वादिनी और उसके पति लेकर आये थे, उनके साथ और कोई व्यक्ति नहीं था। उक्त कथित विरोधाभास कदापि महत्वपूर्ण नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण 19-03-22 को किया जाना दर्शाया गया है, किन्तु पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि अस्पताल में वह घटना के तीसरे दिन पहुंची थी, उसके साथ उसका पति और महिला सिपाही भी थे। जैसा कि ऊपर यह बात ध्यान दिये जाने योग्य है कि पीड़िता पढी-लिखी नहीं है, इसलिए उसका यह कहना कि घटना के तीसरे दिन उसका मेडिकल परीक्षण हुआ था, कदापि विश्वसनीय नहीं है। अपितु मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्शक-5 दिनांक 19-03-2022 की है। महत्वपूर्ण है कि उसका मेडिकल तत्काल किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी

तर्क दिया गया कि घटना के सम्बन्ध में उसका बयान थाने में लिया गया था, घटना के 10-15 दिन बाद लिया गया था। वास्तव में पीड़िता का बयान 19-03-22 को ही विवेचक द्वारा अंकित कराया गया, इसलिए पीड़िता द्वारा यह कहा जाना कि उसका बयान 10-15 दिन बाद लिया गया था, कदापि तर्कसंगत नहीं है। यहाँ पर यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि विवेचक द्वारा धारा 161 द०प्र०सं० का बयान अंकित किया गया और विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष भी अंकित कराया गया। यह संभव है कि उक्त बयान भ्रमवश दिया हो। उसे यह स्मरण न रहा हो कि बयान किन तिथियों में लिये गये। पीड़िता ने घटना स्थल के सम्बन्ध में कथन किया है कि मेरे मकान का मुख्य दरवाजा सुमन के मकान के सामने है। सुमन के मकान के पूर्व तरफ प्रशान्त का मकान है। मेरे मकान के पूर्व तरफ महेश पुत्र रामवीर का मकान है। जिस तरीके से मेरे मकान वर सुमन के मकान का मुख्य दरवाजा आमने-सामने है, उसी तरह महेश व प्रशान्त के मकान के दरवाजे आमने-सामने हैं। बीच में दरवाजा है। मेरे मकान के मुख्य गेट या घर में एक कमरा बना है, इसका दरवाजा भी मेरे मुख्य दरवाजे की तरफ है। मुख्य दरवाजे के कमरे के बाहर मेरा चूल्हा रसोई है। इसी में पकौड़ी सेक रही थी। नक्शा नजरी प्रदर्शक-8 के अवलोकन से विदित होता है कि जिस कमरे में पीड़िता पकौड़ी सेक रही थी, उसी कमरे के ठीक बगल में पीड़िता का घर और उसके बगल में महेश का घर है। उसके पश्चिम में दिशा में रामप्रकाश का खेत तथा उत्तर दिशा में कच्चा रास्ता दर्शाया गया है। बचाव पक्ष की ओर से पीड़िता द्वारा पहने गये वस्त्रों की फर्द के सम्बन्ध में भी कहा गया कि कथित कपड़ों की बरामदगी भी संदिग्ध है, क्योंकि पीड़िता ने अपने बयानों में कहा कि घटना के समय जो कपड़े पहने थे पकौड़ों का बेसन मेरी साड़ी व ब्लाउज में लग गया होगा। यह कपड़े दरोगा जी ने थाने में लिये थे। यह कपड़े घटना के 2-3 दिन बाद दिये थे। मैं घर गया साथ नहीं ले गया, मेरे जेठ बहादुर दूसरे थाने पर ले गये थे। बहादुर को मैं फोन किया था तब ले गये थे।" उल्लेखनीय है कि दिनांक 19-03-2022 को फर्द प्रदर्शक-9 विवेचक श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा तैयार की गयी है, जिसमें पीड़िता द्वारा पहने गये कपड़े एक अदद साड़ी, एक अदद पेट्टीकोट, एक अदद ब्लाउज और एक अदद कच्छी सील किये गये। उक्त फर्द पर पीड़िता का अंगूठा निशानी और उसके पति के हस्ताक्षर कराये गये। पीड़िता द्वारा किये गये उपरोक्त कथित

विरोधाभासी बयान कदापि यह इंगित नहीं करते हैं कि विवेचक द्वारा घटना के समय पीड़िता द्वारा पहने गये कपड़ों को कब्जे में न लिया गया हो। घटना का समर्थन करते हुए पीड़िता के पति पी०डब्लू० 2 ने भी घटना होली के समय की होना बताया और कहा कि शाम 04.00 बजे का समय था वह चौपाई में घूम रहा था। घर पर बेटा व पत्नी थे। उसी समय अभियुक्त भीषमपाल आ गया था। भीषमपाल उसका पड़ोसी है, बेटे को गुटखा लेने के लिए भेज दिया था। पीड़िता पकौड़ी बना रही थी। अभियुक्त ने जबरजस्ती उसके साथ बलात्कार किया। पी०डब्लू० 2 शाम को 05.00 बजे घर आया था उस समय पीड़िता रो रही थी और परेशान थी। घटना की सारी बात उसे बतायी थी। फिर उसी समय थाने गये थे। पी०डब्लू० 2 ने भी अपनी जाति जाटव होना बताया है, जबकि अभियुक्त यादव जाति का है। पी०डब्लू० 2 ने अभियुक्त के साथ भूसे का व्यापार करने से साफतौर पर इंकार किया है। पी०डब्लू० 2 ने भी अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि घटना वाले दिन होली का दिन था। घटना के समय होली की चौपाई निकल चुकी थी। मैं होली की चौपाई में था। होली की चौपाई में मैं सुबह 08.00 से शाम 05.00 बजे तक होली की चौपाई से अपने आप घर आ गया था। जब अपने घर आया तो मेरी पत्नी रो रही थी। फिर कहा कि पत्नी रोते हुए मिली थी। बेहोश हालत में नहीं मिली थी। जिस समय पी०डब्लू० 2 घर पर आया उस समय घटना हो चुकी थी। पत्नी के बताने पर उसको घटना के बारे में पता चला। पी०डब्लू० 2 ने पुलिस को फोन करके बुलाने की बात को अपने बयान में कहा और कहा कि उसके पत्नी व बेटे को पुलिस साथ में ले गयी थी। लगभग 07.00 बजे शाम को थाने पहुँचे थे। पत्नी द्वारा रिपोर्ट बोली गयी थी। जिस समय पीड़िता का मेडिकल परीक्षण हुआ था उस समय थाने की महिला पुलिस और वह स्वयं गया और मेडिकल कराने हेतु सहमती दी थी। पी०डब्लू० 4 डा० गीता सिंह द्वारा पीड़िता का मेडिकल परीक्षण 19-03-22 को किया गया। जिस महिला का० साधना द्वारा ले जाये गया था। प्रथम सूचना के आधार पर उनके द्वारा मेडिकल किया गया। सहमति उनके पति पी०डब्लू० 2 द्वारा दी गयी। पीड़िता को कोई तकलीफ नहीं पायी गयी। पीड़िता के घटना के समय तीन बच्चे थे। पीड़िता का चेतना का स्तर सही था। नाड़ी की गति सामान्य थी। गुप्तांग के बाल विकसित थे तथा स्तन भी विकसित थे। पी०डब्लू० 4 के अनुसार पीड़िता ने घटना बाद ना ही कपड़े

बदले थे और ना ही स्नान किया था। उसके कपड़ों को सील कराया गया था। पीड़िता के शरीर के किसी भी भाग में चोट नहीं पायी गयी। आन्तरिक परीक्षण में भी किसी भी भाग में चोट नहीं पायी गयी। हाइमन फटा हुआ था उससे कोई रक्तस्राव व अन्य कोई श्राव नहीं पाया गया। शुक्राणु जाँच के लिए स्लाईड तैयार की गयी व अल्ट्रासाउण्ड की भी सलाह दी गयी। बच्चेदानी बढी पायी गयी। पैथोलोजी रिपोर्ट डा० नवीन जैन द्वारा तैयार की गयी है। वैजाइनल स्मियर रिपोर्ट में कोई शुक्राणु नहीं पाया गया और ना ही कोई गर्भ पाया गया। साक्षी पी०डब्लू० 4 की राय में सभी जाँच व परीक्षण पूर्ण करने के उपरान्त लैंगिक हमला की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। घटना के समय पीड़िता द्वारा पहने हुए वस्त्रों को सील बंद कर परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा गया, जिसमें साड़ी, पेट्टीकोट, ब्लाउज और कच्ची सम्मलित थी। पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा की रिपोर्ट 24अ/5 है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा की रिपोर्ट के परिणाम निम्नवत पाये गये:-

1. वस्तु (1) से (4) पर रक्त नहीं पाया गया।
2. रक्त के प्रारम्भिक परीक्षण के लिये बेन्जिडीन परीक्षण प्रयोग में लाया गया।
3. वस्तु (4) पर शुक्राणु पाये गये।
4. वस्तु (4) पर मानव वीर्य पाया गया।
5. वस्तु (1) से (3) पर शुक्राणु अथवा वीर्य नहीं पाया गया।
शुक्राणु तथा वीर्य के परीक्षण हेतु बायोकेमिकल एवं माईक्रोस्कोपिक विधियां प्रयोग की गयी।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि पीड़िता द्वारा घटना के समय पहनी कच्ची पर मानव वीर्य एवं शुक्राणु पाये गये। मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क-6 में डा० गीता सिंह पी०डब्लू० 4 द्वारा निम्न आशय का निष्कर्ष दिया गया है:-

According to all investigiven report and examination finding particualar the sexual assualt can't ne ruled out of the victem.

बचाव पक्ष/अभियुक्त की ओर से साक्षी डी०डब्लू० 1 ग्रीशपाल, साक्षी डी०डब्लू० 2 मुन्नेश कुमार एवं साक्षी डी०डब्लू० 3 बृजेश कुमार को परीक्षित तथा न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा गया है कि

उपरोक्त साक्षियों के बयानों से यह स्पष्ट है कि होली 18-03-2022 को अभियुक्त ग्रीशपाल घर पर था। डी०डब्लू० 1 ग्रीशपाल ने भी इस आशय का कथन किया है कि भीषमपाल उसके घर पर सुबह से शाम तक रहे। शाम 09.00 या 10.00 बजे तक रहे। गांव में यह चर्चा थी कि भीषमपाल के विरुद्ध झूठा मुकदमा लिखाया गया है। इस बात की गाँव में पंचायत भी हुई थी। बचाव पक्ष के उपरोक्त तीनों साक्षियों के बयानों में प्रथम दृष्टया कोई सत्यता प्रतीत नहीं होती है। घटना के दिन होली का पर्व था। गाँव में लोग समूह बनाकर होली का त्यौहार उल्लास पूर्वक मनाते हैं तथा पकवान भी तैयार करते हैं। पीड़िता भी इसी उद्देश्य से समय लगभग 04.00 बजे पकौड़ी सेक रही थी। पीड़िता का पति भी गांव के लोगों के साथ होली की चौपाई में था। जब वह लगभग 05.00 बजे आया तो पीड़िता रोती हुई अशान्त अवस्था में मिली और रोते हुए पीड़िता ने आपबीती बतायी। बचाव पक्ष की ओर से बार-बार इस बात पर बल दिया गया है कि पीड़िता ने बेहोश हो जाने की बात कही और उसके पति डी०डब्लू० 2 ने विवेचक को यह बयान दिया कि पीड़िता के मुँह पर पानी मारकर होश में लाया गया। यह बात कदापि महत्वपूर्ण नहीं है कि जिस समय पति घर आया उस समय पीड़िता बेहोश थी या होश में थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि पीड़िता ने बिना किसी विलम्ब के सम्पूर्ण घटनाक्रम को अपने पति डी०डब्लू० 2 को अवगत कराया। इस बीच में किसी अन्य व्यक्ति से उसका सम्पर्क या वार्ता नहीं हुई। जो उसके साथ घटित हुआ था, उसने तत्काल अपने पति से साझा किया।

धारा 06 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार जो-

जो तथ्य विवाद्य व होते हुए भी किसी विवाद्यक तथ्यसे उस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और उसी स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों।

प्रस्तुत मामलें में घटना घटित होने के तत्काल पश्चात घटना की सम्पूर्ण जानकारी पति को दी गयी। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि विवेचक द्वारा विवेचना सही ढंग से नहीं की गयी है। उनके द्वारा इस आशय का कोई साक्ष्य संकलित नहीं किया गया है कि क्या वास्तव में पीड़िता अनुसूचित जाति की सदस्य थी। पीड़िता ने विवेचक के समक्ष दिये गये बयानों में और न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानों में तथा उसके पति

पी०डब्लू० 2 ने बार-बार यह कहा कि वह जाटव जाति से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष की ओर से प्रति-परीक्षा में भी कोई प्रश्न नहीं पूछे गये कि वादी अथवा उसका पति अनुसूचित जाति के सदस्य हैं अथवा नहीं। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान पीड़िता का जाति प्रमाण पत्र 13 ब/26 संकलित किया गया, जिसमें पीड़िता को जाटव जाति का होना पाया गया है।

धारा 114 क भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में निम्न आशय के प्रावधान किये गये हैं-

"114 क. बलात्संग के लिये कुछ अभियोजनों में सम्मति न होने की उपधारणा- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 376 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (ड) या खण्ड (छ) के अधीन बलात्संग के लिए किसी अभियोजन में, जहाँ अभियुक्त द्वारा मैथुन करना साबित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या वह उस स्त्री की सम्मति के बिना किया गया है जिससे बलात्संग किया जाना अभिकथित है और वह स्त्री, न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहाँ न्यायालय यह उपधारित करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी।"

दूसरे शब्दों में यदि स्त्री द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि उसके द्वारा बलात्संग किया गया और उसके द्वारा अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय यह उपधारणा करेगी कि उसके साथ बलात्संग उसकी सम्मति के बिना किया गया। प्रस्तुत मामले में पीड़िता ने अपने साथ बलात्संग किया जाना अभिकथित किया है।

प्रस्तुत मामले में पीड़िता ने अपनी तहरीर प्रदर्शक -1, बयान अन्तर्गत धारा 161 व 164 द०प्र०सं० और न्यायालय के समक्ष अंकित शपथपूर्वक बयान में बार-बार यह कहा है कि अभियुक्त भीषमपाल यादव ने उसके साथ बलात्कार किया गया। घटना के तत्काल पश्चात स्थानीय पुलिस को भई सूचित किया गया, किन्तु लिखित तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अगले दिन अर्थात् 19-03-2022 को समय 09.30 पर पंजीकृत की गयी। 19-03-2022 को बिना किसी विलम्ब के विवेचना आरम्भ की गयी और विवेचक श्री देवेन्द्र सिंह पी०डब्लू० 6 द्वारा चिक एफ०आई०आर० लेखक, पीड़िता व अन्य साक्षियों के बयान अंकित

किये गये। उसका तत्काल मेडिकल परीक्षण कराने के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेजा गया। यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है कि पीड़िता ने घटना के समय जो साड़ी, ब्लाउज, पेटिकोट और कचड़ी पहने हुए थी, उसी अवस्था में उसे जिला अस्पताल मेडिकल के लिए भेजा गया। घटना के पश्चात उसने स्नान भी नहीं किया था। पहने हुए कपड़ों को सीलबंद विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में पीड़िता द्वारा पहनी गयी कचड़ी पर मानव वीर्य और शुक्राणु पाये गये। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि पीड़िता के शरीर पर कोई चोट आन्तरिक या बाह्य मौजूद नहीं थी। बलात्कार के मामलों में पीड़िता के गुप्तांगों अथवा शरीर के किसी अन्य भाग पर चोट का विद्यमान होना कदापि आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि मेडिकल परीक्षण में डा० गीता सिंह द्वारा यह अंकित किया गया है कि जाँच और परीक्षण पूर्ण करने के उपरान्त लैंगिक हमले की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। पीड़िता और उसके पति पी०डब्लू० 2 के बयानों में किसी भी प्रकार का कोई तत्त्विक विरोधाभास नहीं है। अभियोजन द्वारा उपलब्ध कराये गये मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य यथा मेडिकल रिपोर्ट, नक्शा नजरी आदि से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ उसकी सम्मति के बिना बलात्कार किया गया। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि चूंकि पीड़िता का पति अभियुक्त के साथ भूसे का व्यापार करता था और अभियुक्त के पैसे पीड़िता के पति पर बकाया थे, इसलिए उसे झूठा फंसाया गया, उपरोक्त तर्क कदापि स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि पीड़िता के पति ने अभियुक्त के साथ भूसे का व्यापार करने की बात से साफतौर पर इंकार किया है। मात्र कुछ पैसे के कथित विवाद के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि एक स्त्री अपनी अस्मिता को दाँव पर लगाकर कोई झूठा आरोप लगायेगी। घटना वाले दिन होली का त्यौहार था और पीड़िता का पति तथा गाँव के अन्य लोग होली का त्यौहार मनाने में व्यस्त थे। पीड़िता के अकेलेपन का अनुचित लाभ उठाते हुए अभियुक्त भीषमपाल उसके कमरे में घुसा, पीड़िता को थप्पड़ भी मारा और गला भी दबा दिया। पीड़िता जाटव जाति की सदस्य है। जहाँ तक स्वतंत्र साक्षियों के न होने का तथ्य है, यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि पीड़िता का कमरा जहाँ घटना घटी अन्य आवासीय भवनों से दूरी पर स्थित है। पीड़िता ने शोर भी मचाया था वह चिल्लाई थी, किन्तु होली

का त्यौहार होने के कारण और अन्य व्यक्तियों के दूरी पर होने के कारण उसे बचाने की स्थिति में कोई नहीं था। अभियोजन द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय है। यत्र-तत्र विरोधाभास कथित विरोधाभास अभियोजन की विश्वसनीयता के लिए घातक नहीं है। अभियोजन द्वारा विश्वसनीय एवं अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, जो उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले हैं तथा न्यायालय का विश्वास जाग्रत करने वाले हैं। मेडिकल रिपोर्ट से भी बलात्कार की पुष्टि होती है। अभियुक्त को कदापि झूठा नहीं फंसाया गया है। बचाव पक्ष की ओर से पेश किये गये साक्षियों के बयानों में कदापि सत्यता नहीं है। विवेचक द्वारा भी विधि सम्मत ढंग से विवेचना अग्रसारित की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने में कोई अनुचित विलम्ब कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त भीषमपाल द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट की गयी, उसको थप्पड़ मारे गये, स्वेच्छया उपहति कारित की गयी तथा पीड़िता कि सम्मति के बिना यह ज्ञान रखते हुए कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया कि वह अनुसूचित जाति की सदस्य है। अभियोजन अभियुक्त भीषमपाल यादव के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः सफल रहा है। अभियुक्त लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323, 376 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(V) अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, में दोषसिद्ध किये जाये योग्य है।

आदेश

अभियुक्त भीषमपाल यादव को आरोप अंतर्गत धारा 323, 376 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(V) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, के आरोप में दोष सिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त भीषमपाल यादव न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हो।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 20.12.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति की "पीड़िता" के साथ बलात्संग जैसा गंभीर एवं जघन्य अपराध कारित किया गया है। अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में विधायिका द्वारा उदघोषित अधिनियम के उद्देश्य व प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

दूसरी ओर अभियुक्त/बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियुक्त गरीब परिवार से हैं। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त परिवार के एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। न्यूनतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त द्वारा एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्संग किया गया और धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक का प्रावधान है तथा धारा धारा 3(2)(V) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, के अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय कोई अपराध (किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूजित जनजाति का सदस्य है या ऐसी सम्पत्ति ऐसे सदस्य की है।) वह आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डनीय होगा। अतः मामले की गंभीरता और प्रकृति, अभियुक्त का सामाजिक परिवेश एवं अन्य सुसंगत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

अभियुक्त भीषमपाल यादव निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता

है-

धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे 01 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता सपठित धारा 3(2)V अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए आजीवन कारावास व मुव० 1,00,000/- (एक लाख रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे 06 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सभी सजायें साथ-साथ चलेगीं।

अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में इससे पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि सजा में समायोजित की जाये।

इस निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्त को तत्काल प्रदत्त की जाये। अभियुक्त का सजायावी वारण्ट बनाकर दण्डादेश भुगतने हेतु जिला कारागार फिरोजाबाद प्रेषित किया जाए।

'पीड़िता' को यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के विहित प्रावधान के अन्तर्गत राहत राशि प्रदान न की गयी हो तो उसे तत्काल राहत धनराशि प्रदान की जाये। उक्त के सम्बन्ध में एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद को प्रेषित की जाये।

प्रस्तुत मामले में अर्थदण्ड की 50% धनराशि "पीड़िता" को प्रदान की जायेगी।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 20.12.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 20.12.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193